श्री देशभूषण कुलभूषण छात्रावास

(लौकिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक शिक्षा का सुन्दर केन्द्र)

गजपंथा सिद्धक्षेत्र, चामर लेणे (जैन लेणे) पहाड, नाशिक

<u>प्रवेश प्रार्थना पत्र</u>

पासपोर्ट
साईज फोटो

कक्षा (जिसमें प्रवेश लेना है।) .... माध्यम .... सत्र ....

छात्र का नाम .... जन्मतिथि ....

पिता का नाम .... माता का नाम ....

परिवार के सदस्यों का विवरण – भाई .... बहन .... अन्य ....

पिता/माता का व्यवसाय .... परिवार की मासिक आय ....

मातृभाषा .... जो अन्य भाषा जानते है? ....

गत वर्ष उतीर्ण कक्षा .... परीक्षा परिणाम (प्रतिशत) .... माध्यम ....

पूर्व विद्यालय का नाम व पता .... पूर्व विद्यालय छोड़ने का कारण .... पूर्व विद्यालय से सम्बन्धित बोर्ड का नाम .... धार्मिक परीक्षा दी हो तो उसका विवरण .... अब तक कोई बड़ी बीमारी हुई है यदि हाँ तो उसका विवरण ....

मैंने श्री देशभूषण कुलभूषण छात्रावास के प्रवेश सम्बन्धी नियमों को पढ़कर समझ लिया है अब मैं उनका और समय-समय पर संशोधित परिवर्द्धित, परिवर्तित नियमों व अन्य दी गई सुचनाओं का पूर्ण रीति से पालन करुँगा। यदि इसके विरुद्ध चलू, अनुशासन भंग करूँ, संस्था के हित में बाधक समझा जाऊ या परीक्षा में अनुर्तीण रहूँ तो मुझे संस्था से पृथक करने तक का दण्ड दिया जा सकता है। वह मुझे बिना किसी आपत्ति के मान्य होगा। अतत्त मुझे श्री देशभूषण कुलभूषण छात्रावास में प्रवेश देने की कृपा करें।

दिनांक .... हस्ताक्षर छात्र

<u>पिता या संरक्षक का स्वीकृति पत्र</u>

यह छात्र रिश्ते मेरा .... है मुझे श्री श्री देशभूषण कूलभूषण छात्रावास के सम्पूर्ण नियम स्वीकार है मैं स्वेच्छा से इस छात्र को प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी सही है यह संस्था के वर्तमान नियमों, समय-समय पर बननेवाले अन्य नियमों, सूचनाओं और अनुशासन का बराबर पालन करेगा। यदि यह कोई नियमविरूद्ध कार्य करता है तो अधिकारी द्वारा दिया गया दण्ड हमें मान्य होगा। छात्र की अनुचित सभी गतिविधियों के लिये में पूर्णत जिम्मेदार रहूंगा।

पिता/संरक्षक का नाम .... पत्र व्यवहार का पुरा पता ....पिनकोड ....

फोन नं. (एस. डी. कोड सहित) .... मोबाइल नं. ....

हस्ताक्षर पिता/संरक्षक ....

<u>छात्र के निवास स्थान के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण</u>

हम प्रमाणितक करते हैं कि छात्र और उसके/संरक्षक द्वारा दी जानकारी सत्य है छात्र श्री देशभूषण कुलभूषण छात्रावास में प्रवेश पाने योग्य है।

नाम	नाम ....
पता	पता ....
फोन नं./मो. नं.	फोन नं./मो. नं. ....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
दिनांक	दिनांक ....

(**नोट :–** कृपया 6 वीं एवं 7 वीं पास की अकसूची, प्रमाणपत्र आदि की फोटोप्रति संलग्न करें)

पिता/संरक्षक का स्वीकृति-पत्र

1. यह छात्र .... लौकिक रिश्ते में पिता का नाम .... मेरा है।
2. मैंने छात्रावास के सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। मुझे छात्रावास के सम्पूर्ण नियम स्वीकार हैं। मैं स्वेच्छा से इस छात्र को आपके यहाँ प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्र ने आवेदन-पत्र स्वयं भरा है तथा छात्र द्वारा दी गयी सम्पूर्ण जानकारी सही है। मैं अपनी ओर से संस्था को आश्वस्त करता हूँ कि यह छात्र (नाम) .... आपकी संस्था के वर्तमान नियमों तथा समय-समय पर परिवर्तित नियमों, सूचनाओं तथा अनुशासन का अवश्य पालन करेगा। यदि वह कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है तो अधिकारियों द्वारा दिया गया दण्ड उसे मान्य होगा। छात्र की अनुचित सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए मैं हम पूर्णतः जिम्मेदार हैं/हूँ।

छात्र के स्थायी पते पर रहनेवाले अभिभावक का	नासिक के समीप में रहनेवाले अभिभावक का पता (अगर हो तो)
नाम	नाम ....
पता	पता ....
....	....
मोबाइल	मोबाइल ....
ई-मेल (Capital letter)	ई-मेल (Capital letter) ....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

छात्र के सम्बन्ध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

हम प्रमाणित करते हैं कि छात्र और उसके पिता/संरक्षक ने जो ऊपर लिखा है, वह सही है। यह छात्र छात्रावास में प्रविष्ट होने योग्य है।

1.	2.
नाम	नाम ....
पता	पता ....
....	....
मोबाइल	मोबाइल ....
ई-मेल (Capital letter)	ई-मेल (Capital letter) ....
हस्ताक्षर/मुहर	हस्ताक्षर/मुहर

नोट – आपके नगर के दो मुमुक्षुओं के (प्रमुख) हस्ताक्षर एवं मुहर।

कार्यालय के उपयोग हेतु

उक्त छात्र (नाम) .... का प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है तथा उसको छात्रावास की

हस्ताक्षर अधीक्षक	**हस्ताक्षर प्राचार्य**	**हस्ताक्षर निदेशक**
दिनांक	दिनांक	दिनांक ....

विशेष –

1. छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रों की भोजन एवं आवास व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी।
2. लौकिक शिक्षा हेतु कॉपी, किताब, स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस, पंजीकरण शुल्क और प्रवेश शुल्क आदि की व्यवस्था अभिभावक को करनी होगी।
3. छात्र द्वारा छात्रावास में किसी भी सामान की क्षति होती है, तो उस सामान सम्बन्धित खर्च छात्र की सिक्यॉरिटी डिपॉजिट से लिया जायेगा। बीमार छात्र का प्रवेश निषिद्ध हैं, अगर कोई छात्र अपनी बीमारी छिपाता हैं तो उसे बीच सत्र में वापिस घर भेज दिया जावेगा एवं सिक्यॉरिटी डिपॉजिट वापिस नहीं की जायेगी।
4. छात्रावास के त्रीवर्षिय पाठ्यक्रम को छात्र द्वारा किसी भी परिस्थिति में पूर्ण न करने पर (लौकिक शिक्षा / आम कारण / पारिवारिक कारण / बीमारी / अन्य) छात्र द्वारा छात्रावास के नियम उल्लंघन किए जाने पर, यदि छात्र को छात्रावास द्वारा निष्कासित किए जाने कि स्थिति में सिक्यॉरिटी डिपॉजिट वापिस नहीं की जायेगी।
5. परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिताओं एवं परीक्षा शुल्क का शुल्क अभिभावक को देय होगा।
6. महाराष्ट्र बोर्ड सेमी अंग्रेजी के छात्रो को आवागमन का शुल्क 11000/– जमा करना होगा ।
7. **CBSE SCHOOL** में पढ़ने वाले छात्रों को **SCHOOL** फीस देनी होगी ।

आवश्यक नियम –

1. छात्र को उपलब्ध पाठ्यक्रम के साथ–साथ छात्रावास द्वारा निर्धारित नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. छात्र को लौकिक शिक्षा हेतु चयनित स्थानीय शिक्षा संस्थान के दिशा–निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा, उसमें छात्रावास का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा।
3. छात्रावास में संचालित धार्मिक कक्षाओं की परीक्षाएँ ली जायेंगी । जो छात्र इनमें असफ़ल होंगे, उन्हें आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सफ़लता होने के लिए 60% लाना अनिवार्य होगा ।
4. **छात्र की लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में अथवा अन्य प्रसंगों पर आनेवाली कानूनी अड़चनों को दूर करने की जिम्मेदारी छात्र तथा उसके अभिभावक की होगी।**
5. अध्ययन में असमर्थ होने पर या बारम्बार अस्वस्थ होने पर अथवा छात्रावास के नियमों की अवहेलना करने पर छात्र को छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है, इसकी सूचना अभिभावकों को दे दी जायेगी।
6. छात्र को छात्रावास में अभक्ष्य भक्षण, बिना छना जलपान, रात्रि भोजन एवं सप्त व्यसनों का त्याग करना और सामान्य अष्ट मूलगुणों को धारण करना आवश्यक है। छात्र को सम्पूर्ण शिक्षाकाल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना होगा।
7. छात्रावास में छात्र को निर्धारित दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. छात्र को अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहना होगा। स्वेच्छा से स्थान–परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. छात्र स्वयं अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखेंगे तथा स्नान गृह, गैलरी आदि में भी स्वच्छता बनाये रखेंगे। तथा यदि इन स्थानों पर भी सामान की क्षति होती है, तो उसका दण्ड छात्र को दिया जाएगा।
10. छात्र को अपने पास तथा अपने कमरे में रखनेवाले सामान की सूची अधीक्षक को देनी होगी।

12\. कोई भी छात्र नकदी या अन्य सामान अपने पास नियमानुसार ही रखेगा, अन्यथा खो जाने पर उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। छात्र को नकदी आदि जोखिम, कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए।

12\. छात्र को छात्रावास के द्वारा दिये गये उपकरणों के अलावा बिजली का हीटर, सिगड़ी, रेडियो, वाकमैन, कैमरा, वीडियो गेम, मोबाइल, कार्डरीडर, पेनड्राइव, ईयरफोन, स्मार्ट घड़ी आदि का उपयोग करना निषिद्ध है तथा यह एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

13\. सत्र के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। छात्रावास द्वारा अप्रैल से मार्च के सत्र में 20 दिन का अवकाश दिया जायेगा। स्वयं के परिवार के खास सदस्यों में से किसी का विवाह या मृत्यु प्रसंग पर 5 दिन का अवकाश नियमानुसार स्वीकृत है। अवकाश में विलम्ब से आने, तीर्थयात्रा, विवाह आदि में अतिरिक्त अवकाश लेने पर वह अवकाश काटे जायेंगे।

14. छात्र को घर या अन्यत्र बाहर जाने हेतु अधीक्षक की एवं विद्यालय की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। यदि कोई छात्र बिना सूचना दिये छात्रावास से बाहर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी, उसके लिए स्वयं छात्र एवं उसके अभिभावक जिम्मेदार माने जायेंगे तथा यह एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

15. अभिभावक बार–बार टेलीफोन करके छात्र से बात न करें। फोन पर अधिक समय तक बात न करें। यदि कोई विशेष समाचार हो तो अभिभावक कार्यालय में अधीक्षक अथवा निदेशक को सूचित करें। प्रत्येक छात्र को सप्ताह में एक दिन निर्धारित दिवस पर 05 मिनट हेतु फोन पर बात करने का अवसर दिया जायेगा।

16. अभिभावक को वर्ष में दो बार अथवा तीन बार सूचनानुसार छात्रावास में अभिभावक मीटिंग में आना जरूरी है।

17. कुशाग्र–बुद्धि वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों के अध्यापन कार्य में नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें सहयोग करना प्रत्येक वरिष्ठ छात्र का कर्तव्य होगा।

18. **छात्रावास में रहनेवाले छात्रों की वेशभूषा सामान्य कुर्ता–पायजामा (रंग–डिजाइन रहित) निर्धारित है; अतः छात्र को स्कूल के अलावा मंदिर में उक्त वेशभूषा में ही रहना अनिवार्य है।**

19. छात्र को किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ (नाश्ता) रखना निषिद्ध है।

20. छात्र को अवकाश लेते समयः स्वयं अभिभावक को अथवा किसी अन्य के द्वारा बुलाने पर लिखित स्वीकृति पत्र देना अनिवार्य है। अन्यथा छात्र को अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

21. छात्र को अवकाश हेतु घर से निर्धारित तिथि तक छात्रावास पहुँचना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र को निर्धारित दण्ड दिया जाएगा।

22. छात्रों को छात्रावास के कमरे में किसी भी प्रकार की गन्दगी एवं सामान की क्षति होने पर उस कमरे के सभी छात्रों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

23. छात्र को वरिष्ठ व कनिष्ठ छात्रों के साथ विनयपूर्ण व्यवहार करना होगा। वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों की रेगिंग करना दण्डनिय अपराध है उसे छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा।

24. छात्रावास एवं ट्रस्ट द्वारा छात्रों को यथासंभव सुविधा साधन ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

25. छात्र का छात्रावास में प्रवेश पाने पर रजाई कंबल, गद्दा (गादी) 1, 2 प्लेन बेडसीट, 1 तकिया 2 कवर सहित, बाल्टी 1, मग 1, आदि दैनिक उपयोग की सामग्री स्वयं लानी होगी।

26. छात्र के पास रुपए, इलैक्ट्रिक गेजेट्स इत्यादि पाया जाता है तो जप्त हो जायेगा। और किसी भी कीमत पर विपिस नहीं दिया जायेगा।

छात्र द्वारा शपथ पत्र

श्री देशभूषण कुलभूषण में प्रवेश हेतु मैं .... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारी सही है। मैंने छात्रावास एवं लौकिक विद्यालय के दिशा–निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं इन नियमों का तथा समय–समय पर संशोधित, संवर्द्धित व परिवर्तित नियमों तथा अन्य सूचनाओं का अवश्य पालन करूँगा। यदि मैं छात्रावास के नियमों की अवहेलना करूँ या संस्था के हित में बाधक समझा जाऊँ या धार्मिक / लौकिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहूँ तो मुझे संस्था द्वारा जो भी दण्ड दिया जायेगा, वह स्वीकार्य होगा। कृपया मुझे छात्रावास में प्रवेश देकर अनुगृहीत करें।

दिनांक ....

स्थान .... हस्ताक्षर छात्र